



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 616 राँची, मंगलवार, 10 अग्रहायण, 1942 (श०)
01 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

5 नवम्बर, 2020

आदेश संख्या-5/आरोप-1-4/2020 का०-5549-- श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सारण), अंचल अधिकारी, देवघर सदर द्वारा माह नवम्बर, 2019 में देवघर अंचल में जाति प्रमाण पत्र के 116 मामले 30 दिनों से अधिक अवधि से लम्बित रखा गया, जबकि सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकतम 30 कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है।

जाति प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण विभागीय पत्रांक-10164, दिनांक 19.12.2019 एवं पत्रांक-1021, दिनांक 07.02.2020 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्रांक-311, दिनांक 19.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में सभी राजस्व उप निरीक्षक एवं उनके विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहने के कारण ससमय जाति प्रमाण

पत्र निर्गत न होने का उल्लेख करते हुए वर्तमान में सभी प्रमाण पत्र ससमय निर्गत किये जाने का उल्लेख किया गया।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18.09.2020 तक देवघर अंचल में 30 दिनों से अधिक अवधि से लम्बित विभिन्न जाति प्रमाण पत्रों की संख्या 03 है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0, अंचल अधिकारी, देवघर सदर के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
